



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272240
CG-DL-E-06052026-272240

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2076]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948

No. 2076]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2151(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्येधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"11	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42, संख्या 52 [केवल हुबली से अंकोला खंड (130 किमी)], संख्या 67 [(रामनगर-धवाड़ खंड केवल (63 किमी)], संख्या 69 [होन्नावर से शिवमोग्गा खंड (160 किमी) और बनवर-हुलियार-सिरा-मधुगिरी-चिंतामणि-मुलबहाल खंड केवल (293 किमी लगभग)], संख्या 73 (बंटवाल-बेल्टंगडी-मुदिगेरे-बेलूर-बनवर खंड और स्पर उजिरे-धर्मस्तला-पेरियाशांति खंड, केवल), संख्या 75 (मुलबगल से कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा केवल), संख्या 150, संख्या 150ए [हिरियूर - हुलियार - चिक्कानयकानहल्ली-नागमंगला-श्रीरंगपटना-मैसूर-नंजनगुड - चामराजनगर खंड (मैसूर टाउन के पास रारा -275 और रारा -766 के साथ ओवरलैपिंग को छोड़कर), संख्या 150सी, संख्या 160, संख्या 161ए, संख्या 166ई, संख्या 167, संख्या 167एन, संख्या 169 [पुराने रारा -13 (मारोली जंक्शन से नंथूर जंक्शन) के 743.900 से किमी. 745.000 और पुराना रारा -13 (सन्नूर जंक्शन से बिकरनाकाट्टे खंड तक)के किमी 698.850 से किमी. 743.900 तक छोड़कर], सं. 169ए, सं. 173, सं. 181, सं. 275 (रारा -75 - पुत्तूर-सुल्या-मडिकेरी खंड के साथ जंक्शन), सं. 367, सं. 369, सं. 369ई, सं. 373 (हसन-होलेनरसीपुरा-बिलिकेरे खंड केवल), सं. 544डीडी, सं. 544ई, सं. 548बी, सं. 548एच, सं. 561ए, सं. 748, सं. 752के, सं. 766सी, सं. 766ई और सं. 766ईई के उतने भाग जो कर्नाटक राज्य अवस्थित हैं।	कर्नाटक राज्य सरकार।

[फा. सं. रारा-14013/8/2026 -पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. का.आ.1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार संशोधन सं. का.आ.1999 (अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2151(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
"11	So much of New National Highway No. 42, No. 52 [Hubli to Ankola Section only (130 km)], No. 67 [(Ramnagar-Dhawad section only(63 km)], No. 69 [Honnagar to Shivamogga Section (160km) and Banavar-Huliyar-Sira-Madhugiri-Chintamani-Mulbahal section only (293 km approx.)], No. 73 (Bantval-Beltangadi-Mudigere-Belur-Banavar section and spur Ujire-Dharmastala- Periyashanthi Section, only), No. 75 (Mulbagal to Karnataka / Andhra Pradesh border only), No. 150, No. 150A [Hiriyur - Huliyur - Chikkanayakanahalli-Nagamangala-Srirangapatna-Mysore-Nanjangud - ChamaraJanagar section (excluding overlapping with NH-275 and NH-766 near Mysore Town), No. 150C, No. 160, No 161A, No. 166E, No. 167, No. 167N, No. 169 [excluding from Km. 743.900 to Km.745.000 of old NH-13 (Maroli Junction to Nanthoor Junction) and from Km. 698.850 to Km. 743.900 of old NH-13 (Sannur junction to Bikarnakatte Section)], No. 169A, No. 173, No. 181, No. 275 (Junction with NH-75-Puttur-Sulya-Madikeri Section Only), No. 367, No. 369, No. 369E, No. 373 (Hassan-Holenarasipura-Bilikere section only), No. 544DD, No. 544E, No. 548B, No. 548H, No. 561A, No. 748, No. 752K, No. 766C, No. 766E and No. 766EE as are situated within the State of Karnataka.	State Government of Karnataka.

[F. No. NH-14013/8/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1999(E), dated the 22th April, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2152(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
रारा 50	महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा से हुमनाबाद खंड (कर्नाटक राज्य में)	83 किमी
रारा 52 (पुराना रारा - 218)	हुबली से विजयपुरा (बीजापुर) खंड (कर्नाटक राज्य में)	199 किमी
रारा 75 (पुराना रारा -48)	गुंड्या से हेग्गाडी खंड (कर्नाटक राज्य में)	26 किमी
रारा-150ए	जेवरगी-शाहापुर-बेल्लारी-हिरियूर खंड (कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी.0.00 से किमी. 409.00
रारा-766 (पुराना रारा- 212)	केरल/कर्नाटक सीमा - गुंडलुपेट - मैसूर - कोल्लेगल खंड (कर्नाटक राज्य में)	कर्नाटक राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग

[फा. सं. रारा-14013/8/2026 -पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2152(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH 50	Maharashtra / Karnataka Border to Humnabad Section (In the State of Karnataka)	83 km
NH 52 (Old NH-218)	Hubbali to Vijayapura (Bijapur) Section (In the State of Karnataka)	199 km
NH 75 (Old NH-48)	Gundya to Heggadde Section (In the State of Karnataka)	26 km
NH-150A	Jevargi-Shahapur-Bellary-Hirriyur Section (In the State of Karnataka & Andhra Pradesh)	km. 0.00 to km. 409.00
NH-766 (Old NH-212)	Kerala / Karnataka Border - Gundlupet - Mysore - Kollegal Section (In the State of Karnataka)	Entire NH in the State of Karnataka

[F. No. NH-14013/8/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2153(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3512 (अ), दिनांक 23 नवंबर, 2026 में एतद्वारा और संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम सं (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग	संख्या	खंड	खंड किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)	(3)
"150ए	(जेवरगी-शाहापुर खंड) (कर्नाटक राज्य में)		किमी.0.000 - किमी. 50.000
"150ए	(बेल्लारी-हिरियूर खंड) (कर्नाटक राज्य में)।		किमी.254.800 - किमी. 409.00

[फा. सं. रारा-14013/8/2026 -पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2153(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.3512 (E), dated the 23th November, 2016, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

Table

National Highway number	Section	Stretch in kilometres
(1)	(2)	(3)
“150A	(Jevargi-Shahapur Section) (In the State of Karnataka).	Km.0.000 - Km. 50.000
“150A	(Bellary-Hiriyur Section) (In the State of Karnataka).	Km.254.800 - Km. 409.00

[F. No. NH-14013/8/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2154(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2796 (अ), दिनांकित 16 सितंबर, 2013, का. आ. 5568 (अ), दिनांकित 29 अक्टूबर 2018, का. आ. 1508 (अ), दिनांकित 14 मई 2020 और का. आ. 170 (अ), दिनांकित 15 जनवरी, 2024 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. रारा-14013/8/2026-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2154(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescind the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.2796 (E), dated the 16th September, 2013, S.O. 5568 (E), dated the 29th October, 2018, S.O.1508 (E), dated the 14th May, 2020 and S.O.170 (E), dated the 15th January, 2024, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/8/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director